

**अनुदान संख्या 8 – औषध विभाग**  
**GRANT No. 8 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	261,47,00	568,70,00	512,51,60	-56,18,40
पूरक	Supplementary	307,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				54,34,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	6,00	11,01,00	10,95,00	-6,00
पूरक	Supplementary	10,95,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹5618.40 लाख) फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹30723.00 लाख के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹5618.40 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grant of ₹30723.00 lakhs obtained in February, 2019 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	3352.00			
			..	..	..
पु.	R.	-3352.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	21395.00			
पू.	S.	30723.00	49998.00	49813.21	-184.79
पु.	R.	-2120.00			

(I) ₹3352.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3350.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "औषध निर्माण उद्योग - राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹3352.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹3350.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Pharmaceuticals Industries - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "रसायन और औषध निर्माण उद्योग - औषधि और औषध निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals" - savings occurred under the following heads:-

(का) "औषध उद्योग का विकास" - ₹1014.58 लाख की बचत (₹1296.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(A) "Development of Pharmaceuticals Industry" - saving of ₹1014.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1296.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(खा) "जन औषधि" - ₹4149.00 लाख की बचत (₹8399.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष

(B) "Jan Aushadhi (PMBJP)" - saving of ₹4149.00 lakhs (against the sanctioned provision of

2017-2018 के दौरान खोले गए जन औषधि केन्द्रों के लेखापरीक्षा का संचालन न किए जाने की वजह से नए जन औषधि केन्द्रों को न खोले जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹285.83 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान 71 प्रतिशत थीं।

2. बचतें मुख्य शीर्ष “2852” – “रसायन और औषध निर्माण उद्योग – औषध और औषध निर्माण-राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” के अंतर्गत ₹3350.00 लाख का अधिक व्यय (₹10150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹4.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

₹8399.00 lakhs) was due to non-opening of new Jan Aushadhi centres owing to non-conducting of audit of Jan Aushadhi centres opened during 2017-18.

(III) Under one head saving of ₹285.83 lakhs occurred constituting 71 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “2852” - “Chemical and Pharmaceutical Industries - Drugs and Pharmaceuticals - National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)” - excess of ₹3350.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10150.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads.